दैनिक जागरण, 15, मार्च 2008

एसबीआई ने की सात लाख की वसूली

- अलाभकारी ऋणों की शीघ्र वसूली के लिए अधिक लोक अदालतें लगाई जाएंगी

देहरादून : भारतीय स्टेट बैंक के नवगठित सार्क केंद्र द्वारा राज्य स्तरीय लोक अदालत में बैंकों और ऋणियों ने जमकर फायदा उठाया। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सात लाख रुपये की वसूली की गई।

ऋणों की त्वरित वसूली हेतु ऋणियों के समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव कंवर सैन की मौजूदगी में लगायी गई लोक अदालत में ऋणियों द्वारा बैंक के साथ समझौते के आधार पर ऋण भुगतान करने पर करीब दो लाख रुपये की छूट का फायदा उठाया।

आज भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सात लाख रुपये की वसूली की गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य कंवर सैन ने कहा कि राज्य स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन लोक अदालतों में राज्य के सभी बैंकों की जिला शाखाओं को शामिल करने की व्यवस्था की जा रही है।

इसमें राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का सहयोग लिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य अधिकारी विनोद कपूर ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तीसरी बार लोक अदालत लगाई गई है। अलाभकारी ऋणों की शीघ्र वसूली के लिए अधिक लोक अदालतें लगाई जाएंगी। इससे जहां बैंकों को फायदा मिलता है, वहीं ऋणकर्ता को भी फायदा मिल जाता है।